

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्य12(RTI)/10/2025

रजि० नं० 2025/407

प्रवेश तिथि 10.10.2025

अपीलार्थी :-	प्रत्यर्थी :-
Ravinder Add. Modhoopur Bhonkar, Kotkasim, Dist. Khairthal-Tijara Pin Code 301707	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:- निर्णय :- दिनांक 21.10.2025

- 1- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) को ऑनलाईन प्रथम आवेदन पत्र संख्या 448067804281907 दिनांक 14.08.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
- 2- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- 3- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस क्रमांक 1550 दिनांक 10.10.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 21.10.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
- 4-राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) के पत्राक 1572 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा अपील का बिन्दुवार जवाब तैयार कर पेश किया गया है। प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के ऑनलाईन प्रथम आवेदन पत्र संख्या 448067804281907 दिनांक 14.08.2025 में वर्णित तथ्यों पर जवाब अपीलार्थी को जर्न पत्राक पत्राक 1352 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा भिजवाया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की गयी है।
- 5-पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान) ऑनलाईन प्रथम आवेदन पत्र संख्या 448067804281907 दिनांक 14.08.2025 की सूचना भिजवायी जा चुकी है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- 6-अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।
- 7-आज दिनांक 21.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल-तिजारा
खैरथल-तिजारा (राज०)